ब०-15/बी०एस०जी०-120/24/- 412 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 12/06/2025

विषयः- **बी०सी०एफ० अग्रिम/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण का प्रस्ताव CFMS 2.0 के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत बजट संबंधी कार्रवाई यथा-बी०सी०एफ०, पुनर्विनियोग तथा प्रत्यर्पण का प्रस्ताव CFMS 2.0 के माध्यम से ऑनलाईन वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना है ।

2. उक्त संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक-383, दिनांक-30.05.2025 के आलोक में सभी विभागों के नामित पदाधिकारियों/कर्मियों को टी०सी०एस० के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 02.06.2025 को मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में बी0सी0एफ0 अग्रिम/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण प्रस्ताव की प्रविष्टी CFMS 2.0 में किए जाने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

3. प्रशासी विभाग द्वारा बी0सी0एफ0 अग्रिम/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण संबंधी प्रस्ताव CFMS 2.0 के माध्यम से ऑनलाईन मोड में प्रेषित किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी होगी:-

(i) प्रशासी विभाग द्वारा सर्वप्रथम CFMS 2.0 पोर्टल में विभाग के Maker, Checker तथा Approver को Map किया जाना होगा । यदि विभाग (कार्यालय) द्वारा Maker, Checker तथा Approver की ID Create नहीं किया गया है तो उसे Create किया जाना होगा । तत्पश्चात् उन IDs को CFMS 2.0 Portal में Map किया जाना होगा ।

(ii) बी०सी०एफ० तथा प्रत्यर्पण हेतु कार्यालय एडमिन द्वारा संबंधित "Budget Preparation & Consolidation Maker/Checker/Approver" को तथा पुनर्विनियोग हेतु "Budget Re-Appropreparation Maker/ Checker/ Approver" को Map किया जाना होगा ।

(iii) Maker द्वारा CFMS 2.0 पोर्टल में बी0सी0एफ0 अग्रिम/ पुनर्विनियोग/ प्रत्यर्पण संबंधी राशि की प्रविष्टि संगत विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष अंतर्गत की जानी होगी ।

(iv) प्रस्ताव पर प्रशासी विभाग द्वारा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार (माननीय मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संगत टिप्पणी भाग भी CFMS 2.0 पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड किया जाना होगा ।

(v) जिस विभाग के विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं, उस मामले में माननीय मुख्यमंत्री की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्ति की प्रत्याशा में प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की सहमति प्राप्त करते हुए संगत टिप्पणी भाग पोर्टल Portal पर अपलोड किया जाना होगा ।

4. बी0सी0एफ0 अग्रिम/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण संबंधी प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने के क्रम में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर CFMS Helpdesk की सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

5. अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए बी०सी०एफ०/पुनर्विनियोग/प्रत्यर्पण संबंधी प्रस्ताव ऑनलाईन मोड में वित्त विभाग को प्रेषित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन

12/6/2025

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त ।